सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 24 राँची, मंगलवार, 27 जनवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

10 नवम्बर, 2025

संख्या-5/आरोप-1-165/2016 का.--33694 (HRMS)--श्री संजय पी०एम० कुजूर, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-782/03), तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, गुमला के विरूद्ध गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-6748, दिनांक 08.12.2016 के माध्यम से कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2258/जेल, दिनांक 26.07.2016 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

2. आरोप पत्र में श्री कुजूर के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप सं०-1- मंडल कारा, गुमला में तत्कालीन अधीक्षक, श्री संजय पी० एम० कुजूर सम्प्रति जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा कारा हस्तक नियम-61 एवं 73 में वर्णित प्रावधान का काराधीक्षक के रूप में अनुपालन नहीं करने के कारण उक्त कारा में संसीमित बंदी जमुना उराँव उर्फ जमुना राम, पे०-सोमरा उराँव उर्फ सोमरा राम के कारा से दिनांक 10.12.2013 के अपराह्न में पलायन की घटना घटित हुई। घटना की पुनरावृति को रोकने के लिए इनके द्वारा मंडल कारा, गुमला के सभी कमजोर बिन्दुओं (Weak Points) की मरम्मति करवाया

गया, जिससे स्पष्ट होता है कि कारा में Weak Points था, जिसपर ससमय उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। यह कृत्य इनके स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्यहीनता को परिलक्षित करता है।

आरोप सं०-2- श्री संजय पी० एम० कुजूर, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, गुमला सम्प्रति जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i)(ii) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

3. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-978, दिनांक 30.01.2017 द्वारा श्री कुजूर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री कुजूर के पत्रांक-99, दिनांक 02.03.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री कुजूर द्वारा अपने स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि घटना स्थल शौचालय के चैम्बर में ढक्कन लगा हुआ था। उसके पाईप जो पेरीमीटरवाल से बाहर की ओर चैम्बर में जाती है और उसमें बने हुए ढक्कन टुटकर गिर गई है अथवा चोरी हो गई है तथा इसके स्थान पर एस्वेस्टेज एवं बोरा से ढका हुआ है, इसकी सूचना इनसे पूर्व कारा अधीक्षक द्वारा नहीं बताया गया और ना ही इस संबंध में उनके स्तर से कोई कार्रवाई किया गया। इसके अलावे संबंधित एवं कार्यरत गृहरक्षक, कक्षपाल, प्रभारी उच्च कक्षपाल दफा प्रभारी एवं लिपिक के द्वारा भी इनको इस संबंध में सूचना नहीं दी गई थी।

कारा से दिनांक 10.12.2013 के पलायन की घटना के उपरांत इनके द्वारा जाँच प्रारंभ करते हुए त्वरित कार्रवाई की गई। घटना के समय तैनात गृहरक्षक, कक्षपाल, प्रभारी उच्च कक्षपाल, दफा प्रभारी एवं लिपिक के विरूद्ध उसी दिन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया तथा विभागीय कार्यवाही भी की गई है।

इसके पूर्व में भी एहतियात के तौर पर इनके स्तर से कार्यालय पत्रांक-2076, दिनांक 25.11.2013 के द्वारा कारा भवनों का सुदृढ़ीकरण, कारा पैरामीटर वॉल के बाहर जिला पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति आदि हेतु उपायुक्त, गुमला से सुरक्षा संबंधी बैठक की तिथि निर्धारित करने की माँग की गई थी। इसके अलावे कार्यालय पत्रांक-1940, दिनांक 27.10.2013 के द्वारा मंडल कारा गुमला में बन्द पड़े C.C.T.V. System की मरम्मति HCL Infosystem राँची से करायी गयी है।

4. श्री कुजूर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5347, दिनांक 12.04.2017 द्वारा कारा महानिरीक्षक, कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई। कारा महानिरीक्षक, कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2303/जेल, दिनांक 11.05.2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुजूर के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया।

5. श्री कुजूर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं कारा महानिरीक्षक, कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य एवं आरोप पत्र के साथ संलग्न साक्ष्यों की समीक्षा की गई।

समीक्षा में पाया गया कि कारा में संसीमित बंदी जमुना उराँव उर्फ जमुना राम के कारा से दिनांक 10.12.2013 के पलायन की घटना के संबंध में श्री तुषार रंजन गुप्ता, सहायक कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा जाँच की गई है। उनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में अंकित किया गया है कि-

"मंडल कारा, गुमला एक अति संवेदनशील कारा है जहाँ काफी मात्रा में नक्सल बंदी संसीमित है। दिनांक 11.12.2013 को कुल-718 बंदी संसीमित थे जो क्षमता-260 से लगभग तीन गुणा ज्यादा थे। बंदी जमुना उराँव के पलायन में कारा के कर्मियों की पूर्ण लापरवाही उजागर हुई है। जिस भंसा वार्ड से बंदी पलायन किया है, वहाँ तीन कक्षपालों की डियूटी थी जिसमें एक कक्षपाल श्री किस्टोफर कुल्लू की डियूटी 01 से 02 नं0 वार्ड का बीच चंदवारी डियूटी थी, जिसका कार्य था मेरीमिटरवाल के समीप जाने वाले बंदियों पर नियंत्रण रखना था। जिसे उन्होंने नहीं किया। इसके अतिरिक्त कक्षपाल श्री निकोलस सोरेन की डियूटी छत पर थी। जिसका कार्य मेरीमिटरवाल के तहफ जाने वाले बंदियों पर नियंत्रण रखना था। ये भी अपने कार्य को नहीं कर पाये। श्री विनोद कुमार जिनकी डियूटी भंसा एवं कुँआ पर थी, अगर ये कार्य में सजग रहते तो बंदी पलायन नहीं कर पाता। प्रभारी कारापाल लिपिक श्री दीपनाथ भोय के लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के कारण ही बंदी पलायन करने में सफल रहा। जब उन्हें मालूम था कि बंदी शौचालय के चैम्बर में अटका हुआ है और उन्हें स्वयं देखा भी जैसा FIR में उद्दत है, इसके बावजूद उन्होंने बंदी को नहीं पकड़ा और गेट की ओर एलार्म कराने चले गये और एलार्म कराये भी नहीं। जब बंदी की संख्या घट रही थी तो उन्हें अविलम्ब एलार्म करवाना चाहिए था। जिससे अंदर और बाहर के कर्मचारी सजग हो जाते और बंदी को भागने का मौका नहीं मिलता। यदि भागता तो भी बाहर उसे पकड़ लिया जाता। गुमला थाना के थाना प्रभारी द्वारा भी बंदियों की पलायन की संभावित सूचना उन्हें उसी शाम को दी थी। इसके बावजूद उनके द्वारा शिथिलता बरता गया। जिसके कारण बंदी पलायन कर गया। प्रभारी उच्च कक्षपाल श्री राम चरित्र सिंह की भूमिका भी काफी संदिग्ध है यदि वे सही रूप से कारा के अंदर भ्रमण करते एवं समय पर एलार्म करवाते तो बंदी को भागने का मौका नहीं मिलता और अप्रिय घटना घटने से रोका जा सकता था। काराहस्तक नियम-302 में स्पष्ट लिखा है कि कारा में किसी भी बंदी की पलायन के लिये प्रथम दृष्टिया जवाबदेही उच्च कक्षपाल की होती है।"

श्री तुषार रंजन गुप्ता, सहायक कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कारा में संसीमित बंदी के पलायन की घटित घटना के लिए श्री कुजूर को दोषी नहीं माना गया है, बल्कि उक्त पलायन में कारा के कर्मियों यथा- कक्षपाल श्री किस्टोफर कुल्लू, कक्षपाल श्री निकोलस सोरेन, श्री विनोद कुमार, प्रभारी कारापाल लिपिक श्री दीपनाथ भोय एवं प्रभारी उच्च कक्षपाल श्री राम चरित्र सिंह की लापरवाही बतायी गयी है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार

इन सभी कर्मियों के द्वारा सजगतापूर्वक कार्य किया जाता तो बंदी पलायन से संबंधित घटना को रोका जा सकता था।

साथ ही, श्री कुजूर मूल रूप से जिला परिवहन पदाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित थे और अतिरिक्त प्रभार में अधीक्षक, मंडल कारा, गुमला थे।

6. अतः समीक्षोपरांत, सहायक कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुजूर के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में श्री संजय पी०एम० कुजूर, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-782/03), तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, गुमला को इस तरह के संवेदनशील मामले में सतर्क रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री संजय पी०एम० कुजूर, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	SANJAY P.M. KUJUR BHR/BAS/3592	श्री संजय पी०एम० कुजूर, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-782/03), तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, गुमला को इस तरह के संवेदनशील मामले में सतर्क रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:20060400057

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 24 - 50